International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746
Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 18-20

महिला सशक्तीकरण की अवधारणा एवं वर्तमान सुरक्षा चुनौती

मनोज कुमार
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
अमृता प्रीतम का कथन, ''मर्द ने अभी दासी देखी है, वेश्या देखी है, देवी देखी है पर औरत नही देखी'' यह वाक्य महिलाओं को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, यह तो वे ही जान सकते हैं जिन्होंने एक औरत को देखा, परखा और समझा हो। प्रकृति के विधान के अनुसार सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री और पुरूष दोनों की समान महत्ता है। स्त्री के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। सृष्टि के प्रारम्भिक अवस्था में कई समुदायों में स्त्री को पुरूषों से अधिक सम्मान दिया गया था, परन्तु जैसे–जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता गया, वह स्त्री पर अपनी पाशविक सत्ता कायम करता गया। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के नाम पर अकसर स्त्री अत्याचार, स्त्री शोषण, स्त्री प्रताड़ना जैसे मुद्दे गौण हो चुके हैं। वर्तमान में महिलाओं को ही नहीं बल्कि छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। जहां देखिये वहां पर अत्याचार, बलात्कार, छेड़खानी आदि की समस्याएं आम बात होती जा रही हैं। आज पुरूष की गरिमा कुछ नासमझ व्यक्तियों की वजह से प्रभावित हुई है। जहां सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए कई प्रावधान कर रही है वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार रूकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस प्रकार से देखा जाऐ तो हमारा समाज महिलाओं को सशक्त नहीं बल्कि अशक्त करने में अग्रसर है। महिलाओं की सुरक्षा चिंता सम्पूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। इस विषय पर देश ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा सर्वोपरि होनी चाहिए ताकि एक समतामूलक एवं स्वच्छ समाज की स्थापना हो सके।

मूल शब्द : महिला सशक्तीकरण, स्त्री शोषण, स्त्री प्रताड़ना।

प्रस्तावना
समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित एवं प्रभावपूर्ण होगा, क्योंकि महिलाएं समाज की जनशक्ति है। सदैव से शोषण की शिकार रही महिला के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरीका में वूमेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ शुरू हुआ। भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं और अनुच्छेद 23–24 में महिलाओं के शोषण, बलात् श्रम, महिलाओं का क्रय–विक्रय इत्यादि पर रोक लगाए जाने का निर्देश है। महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई, इसका उद्देश्य था कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने हैं। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1998 में राष्ट्रीय कार्यवाही योजना तैयार की गई। इस योजना का उद्देश्य था कि दुराचार की शिकार महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यदि प्राचीन भारतीय समाज की बात करें तो वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था और अखण्ड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था। कालान्तर में नारी की स्थिति में ह्रास हुआ और मध्यकाल आते–आते यह ह्रास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। नारी के सम्मानजनक स्थान से ही समाज प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है, तब राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस तरह राष्ट्र निर्माण में भी नारी केन्द्रीय भूमिका निभाती है। माता के रूप में नारी प्रथम गुरू होती है। जॉर्ज हर्बट के मतानुसार– *''एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए।''*

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व
सम्पूर्ण जगत के लोग एक–दूसरे से जुड़े हुए है। एक–दूसरे के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। *''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता''* अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीनकाल में भारत के ऋषि–मुनियों ने नारी के महत्व को भली–भांति समझा था। समय के परिवर्तन के साथ–साथ स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होता गया। प्रेम, बलिदान, समर्पण ही स्त्रियों के लिए विष बन गया। समाज में घृणित विचारधारा ने उसका क्षेत्र केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी की इस स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया–

''कत बिधि सृजी नारी जग माही।
पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं।।''

मुगलकाल में प्रथा आरम्भ हुई और स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। स्त्री ने स्वयं को पुरूषों के चरणों में समर्पित कर दिया, किन्तु पुरूषों ने उन्हें बन्धनों में जकड़ लिया। पुरूषों के किसी भी काम में दखल देना उसके लिए अपराध सा हो गया था। वर्तमान में स्त्रियां अनेक स्तर पर पुरूषों के समान कार्य करती है तथा अपना अधिकार स्थापित करती है परन्तु इन सबके बावजूद भी पुरूषो के घृणित विचार उनका जीवन नश्वर बना देता है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने नारी की इस सोचनीय दशा का वर्णन अपनी कविता की पंक्तियों में किया–

''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।''

भारतीय नारी जीवन की कटुता और विषमताओं का विष पीकर भी कर्तव्य और त्याग का संदेश देती रही हैं।

महिला सशक्तीकरण की अवधारणा

समय परिवर्तनशील है, यद्यपि भारत को आज भी पुरूष प्रधान देश कहा जाता है, परन्तु महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ाए कदमों ने पूर्व कथन को धूमिल कर दिया है। भारत में कुल महिला श्रम शक्ति का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा कृषि, मजदूरी एवं अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में संलग्न है। कृषि भूमि के सीमित होने, मौसम की अनिश्चितता, आदिवासी क्षेत्रों में वनीय सम्पदा में कमी होने के कारण पुरूष वर्ग द्वारा काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने से ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ गया है। महानगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है, क्योंकि यहां शिक्षा, नौकरी एवं उन्नति के अवसर उपलब्ध है। आज महिलाओं की बदलती भूमिका एवं समाज में महिलाओं की समान भागीदारी तथा डिजिटल बैंकिंग आदि के आने से महिला सशक्तीकरण की अवधारणा मजबूत हुई है। सन् 1959 में बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्री–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तब भी यह माना गया कि देश का विकास महिलाओं की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता। इसीलिए पंचायतीराज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73वां संविधानिक संशोधन पारित किया गया, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम की कम से कम एक–तिहाई संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। वर्तमान में देखा जाए, तो कई राज्यों में जैसे मध्यप्रदेश, बिहार समेत महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत तक आरक्षित कर दिया है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण

भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा (जनवरी–2018) में महिलाओं के राजीनीतिक सशक्तीकरण की बात की गई। इसके अनुसार संसद और सावर्जनिक पटल पर निर्णायक भूमिकाओं में महिलाओ का प्रतिनिधित्व सशक्तीकरण के प्रमुख संकेतकों में से एक है। *'राजनीति में महिलाएं 2017 (आईपीयू एण्ड यूएन)'* नामक रिपोर्ट के अनुसार, लोक सभा में 64 (542 संसद सदस्यों का 11.8 प्रतिशत) और राज्य सभा में 27 (245 संसद सदस्यों का 11 प्रतिशत) महिला संसद सदस्य थीं। अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 4118 विधान सभा सदस्यों में से, केवल 9 प्रतिशत महिलाएं थीं। राज्य विधान सभाओं में, महिलाओं का सर्वोच्च प्रतिशत 14 प्रतिशत के साथ बिहार, हरियाणा और राजस्थान से था इसके बाद 13 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा 12 प्रतिशत के साथ पंजाब का स्थान था (वूमेन एन्ड मेन इन इंडिया)–2016 एमओएसपीआई)।

भारत में, वर्ष 2010 और 2017 के बीच निचले सदन में महिलाओं का हिस्सा 1 प्रतिशतांक बढ़ा। रवांडा जैसे विकासशील देश भी हैं जहां वर्ष 2017 में संसद में 60 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं जबकि मिस्र, भारत, ब्राजील, मलेशिया, जापान, श्रीलंका और थाइलैंड में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत है।

भारत जैसे देश में, जहां महिलाओं की आबादी लगभग 49 प्रतिशत है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम रही है। विशेषकर पुरूष–प्रधान मानकों का अनुसरण करने वाले और पक्षपाती समाज में विभिन्न कारक लोक सेवा में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित करते हैं। आईपीयू द्वारा किए गए महिलाओं और पुरूषों के सर्वेक्षण में महिलाओं और पुरूषों को राजनीति में आने से रोकने वाले कारकों में अंतरों को मुख्य रूप से दर्शाया गया था (सारणी 1)। समाज में महिलाओं की निर्णय लेने संबंधी भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए, सभी नागरिकों के बीच महत्व को स्वीकार करते हुए, सभी नागरिकों के बीच अवसरों की समानता के साथ प्रगतिशील समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं की बृहतर भूमिका को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सारणी 1: पुरूषों और महिलाओं को राजनीति में आने से रोकने वाले शीर्ष 5 कारक

	महिलाओं के लिए अवरोधक	पुरूषों के लिए अवरोधक
1.	घरेलू जिम्मेदारियां	निर्वाचक वर्ग से समर्थन की कमी
2.	समाज में महिलाओं की भूमिका संबंधी प्रचलित सांस्कृतिक नजरिया	वित्त की कमी
3.	परिवार से समर्थन की कमी	राजनैतिक दलों के समर्थन की कमी
4.	विश्वास की कमी	प्रतिनिधिक कार्यों, भाषण देने, निर्वाचन–क्षेत्र के संबंध में अनभुव की कमी
5.	वित्त की कमी	विश्वास की कमी

स्रोत : आईपीयू, इक्वेलिटी इन पॉलटिक्स : ए सर्वे ऑफ वूमन एंड मेन इन पॉलिटिक्स, 2008

चूंकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समानता संबंधी नीतियों के लिए व्यापक मायने हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ(3) में यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल संख्या के 1/3 से कम न होंगे। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ(4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों के 1/3 से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। स्थानीय शासन स्तरों पर महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है किन्तु यह राज्य दर राज्य भिन्न है। दिसम्बर, 2017 तक पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 13.72 लाख है जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 44.2 प्रतिशत बैठती है। देश भर में कुल ग्राम पंचायतों में 43 प्रतिशत महिला सरपंच होना स्थानीय शासन में महिलाओं के सक्रिय नेतृत्व को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, नेतृत्व विकास और ग्राम स्तर पर महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम स्तर पर *महिला शक्ति केन्द्र स्कीम* प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम के तहत 300 हजार छात्र स्वयं–सेवक 115 अति पिछड़े जिलों में भेजे जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 640 जिलों में महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, तो महिलाओं से संबंधित सभी पहलों के लिए जिला स्तर पर कन्वर्जेस प्रदान करेंगे। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदाओं से संबंधित महिलाओं के लाभार्थ *नई रश्मि* नामक एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है।

वर्तमान सुरक्षा चुनौती एवं उपाय

- जहां तक महिला सशक्तीकरण की बात है तो वहां पर कई कदमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है तथा इसका लाभ भी महिलाओं को मिल रहा है। अलग–अलग स्तरों पर महिलाओं

के लिए सरकार हर वर्ष कुछ नए कदम उठाती है तथा उनके सशक्तीकरण का प्रयास करती है। परन्तु यहां पर मानवीय विचारधारा का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। आज कहीं भी महिलाओं की सशक्तता के साथ उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। यदि आज हम एक उच्च स्तर तक महिलाओं को देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक उचित माहौल बनाना होगा, जिससे उनकी सुरक्षा एवं मानवाधिकारों की रक्षा हो और वह हर क्षेत्र में समान रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक भागीदार हों।

- देश में महिलाओं की शिक्षा व रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को शामिल करना होगा और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में व आरक्षण के बारे में अवगत कराना होगा, जो उन्हें संविधान द्वारा प्राप्त हैं।
- महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बनाना होगा, क्योंकि आज भी कई पिछड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां घरेलू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यह सब रोकने के लिए समुचित कानून की आवश्यकता है।

उपसंहार

निष्कर्षतः महिलाओं की आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा मानसिक स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। कन्या भ्रूण हत्या आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं की सोच में बदलाव होने तथा उनकी भूमिका बढ़ने के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या में कमी नहीं आ रही। इस स्तर पर सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' योजना शुरू की गई, क्योंकि अभी भी कई जगह बेटों की पढ़ाई पर लाखों खर्च करने वाला समाज बेटियों की पढ़ाई पर मौन है। समाज में हत्या, बलात्कार, हिंसा आदि घटनाएं वर्तमान में सर्वोपरि है। समाज को इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है तथा इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है और समाज की अनेक रूढ़िवादी सोच में बदलाव व उन्हें जागरूक करना आवश्यक है।

सन्दर्भ

1. प्रो0 लाल, बिहारी रमनः शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिदृश्य, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ, 2016
2. मदान पूनम, डा0 यादव कमलेश : शिक्षा के सामाजिक परिदृश्य, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2015
3. महीपाल : पंचायतीराज, चुनौतियां एवं संभावनाए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली, 2014
4. राजोरा, डा0 सुरेश चन्द्र : समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2010
5. सिंह, वी0एन0, सिंह जनमेजय : भारत में सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016
6. पाण्डेय, तेजस्कर, पाण्डेय संगीता : भारत में सामाजिक समस्यायें, मैग्राहिल एजुकेशन प्रा0 लि0, दिल्ली, 2009
7. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक पत्रिका, अंक नवम्बर, 2015
8. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक पत्रिका, अंक अक्टूबर, 2016
9. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक पत्रिका, अंक दिसम्बर, 2016
10. आर्थिक समीक्षा 2017–18, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जनवरी, 2018
11. अन्य पत्र–पत्रिकाएं एवं समाचार–पत्र